

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 99

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02234

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "ऋषभ ट्रेड सेंटर", प्रमोटर-आर.जी.एस. कॉलोनाईजर्स प्रा.
लि., द्वारा-श्री प्रितेश कुमार जैन, पता-डी-13, 14, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"ऋषभ ट्रेड सेंटर " पता-कोलिहापुरी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
14/06/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 5,000/- को अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 15.05.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। चालान की मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित किया जा चुका है। चालान की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	